

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
वृहस्पतिवार, 16 अगस्त, 2012/ श्रावण 25, 1934 (शक)

संख्या : 165

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी विधान सभा के ग्यारहवें सत्र (मानसून सत्र) का प्रारंभ:

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी विधान सभा का ग्यारहवां सत्र (मानसून सत्र) मंगलवार, दिनांक 04 सितम्बर, 2012 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारंभ होगा।

ग्यारहवें सत्र (मानसून सत्र) के दौरान कार्य निष्पादन के लिये दिनों का आबंटन:

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 04, 05, 06 एवं 07 सितम्बर 2012 के लिए निर्धारित की गई हैं।

विधान सभा की बैठकों का समय:

विधान सभा की बैठकें अपराह्न 2.00 बजे प्रारंभ होगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे, उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जाये।

प्रश्नों की सूचनाएं एवं बैलेट:

ग्यारहवें सत्र के लिये प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी।

ग्यारहवें सत्र (मानसून सत्र) के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिये दिनों का आबंटन नियम-37:

मंत्रियों द्वारा ग्यारहवें सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है: -

क्र. सं.	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम-2 में दर्शाये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की तिथि (अप. 3.00 बजे तक)	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि (अप. 5.00 बजे)
1	2	3	4	5
1	शहरी विकास, भूमि एवं भवन, परिवहन, गुरुद्वारा चुनाव एवं प्रशासन।	04.09.2012 मंगलवार	22.08.2012 बुधवार	22.08.2012 बुधवार
2	लोक निर्माण विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, रोजगार, खाद्य एवं संभरण, महिला एवं बाल विकास, भाषा।	05.09.2012 बुधवार)	23.08.2012 वृहस्पतिवार	23.08.2012 वृहस्पतिवार
3	राष्ट्रमंडल खेल, प्रशासनिक सुधार, मनोरंजन, सामान्य प्रशासन, योजना, व्यापार एवं कर, वित्त, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राजस्व, खाद्य अपमिश्रण, सिंचाई एवं बाढ़ विकास, उर्जा, सहकारिता, उद्योग, चुनाव, विधि, न्याय एवं विधायीकार्य।	06.09.2012 वृहस्पतिवार	24.08.2012 शुक्रवार	24.08.2012 शुक्रवार
4	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, सेवाएं, सतर्कता, जेल, आबकारी, जल, गह, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रचार, भागीदारी, जन सम्पर्क, समाज कल्याण, शिक्षा, श्रम।	07.09.2012 शुक्रवार	24.08.2012 शुक्रवार	24.08.2012 शुक्रवार

टिप्पणी

1. प्रश्न सामान्यतः एक ही विभाग से संबंधित होने चाहिए (नियम-31(xxii)) आठवें सत्र हेतु प्रश्नों की सूचना तत्काल प्रभावी होगी ।
2. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि कालम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी । सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3.00 बजे तक है ।
3. जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
4. प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जायेगा, जब एक ही तरह के विषय पर बहुत से प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होंगी । बाद में प्राप्त की गयी सूचनाएं, यदि उसी विषय से संबंधित होंगी तो उन्हें नियम-31(vii) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा ।
5. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें । यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा ।
6. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कमरा नं.54 में दिए गये समयानुसार की जायेगी । सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं ।
7. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दिल्ली नगर निगम के दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं । ऐसे प्रश्नों को नियम 31(xiii) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:

जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11.15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है ।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें । यदि सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख के अंतर्गत दिये गये पाठ में कोई आपत्तिजनक अथवा आरोपात्मक शब्द या वाक्य होगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेश से उन्हें हटा दिया जाएगा । माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध है कि सदन में विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ ही पढ़ें। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से संबंधित होना चाहिए । विधान सभा सचिवालय संबंधित विभाग को प्रायः उल्लेख के मूल पाठ को ही अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजता है ।

गैर सरकारी सदस्यों का कार्य:

शुक्रवार, 07 सितम्बर, 2012 की तिथि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिये निर्धारित की गई हैं।

शुक्रवार, 07 सितम्बर, 2012 को लिये जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त, 2012 को अपराह्न 3.00 बजे तक है। जिनके लिये बैलेटिंग उसी दिन अपराह्न 4.30 बजे सचिव के कक्ष में सम्पन्न होगी।

माननीय सदस्यों का बैलेटिंग में भाग लेने के लिए स्वागत है।

नोटिसों की प्रक्रिया

- (क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार से हैं: -
- a. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जायेगी तथा कार्यालय में ही दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिये खुला रहेगा।
- b. सूचना कार्यालय में उप-नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेगी।
- (ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिए। नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 स्थित है।
- (ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।
- (घ) विधान सभा के नोटिस कार्यालय ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिये गये नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।
- (ङ.) विधान सभा नोटिस कार्यालय द्वारा नोटिसों को प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट समय उनके लिए उल्लिखित तिथियों को प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच है। माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस कार्यालय से कार्यालय समय के दौरान खुला रहेगा।

दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराह्न 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं । उदाहरणार्थ 04/09/2012 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 03/09/2012 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगे ।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे । दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हैं ।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल टेलिफोन आदि सदन के बाहर ही रखें ।

यदि किसी कारणवश ले आये हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सदन में इनके स्विच बंद रहें ।

पी.एन.मिश्रा
सचिव

दिल्ली विधान सभा
ग्यारहवां सत्र
बैठकों का अस्थायी तिथि-पत्र

क्र.सं.	बैठक की तिथि	विषय
01	04.09.2012 मंगलवार	सरकारी कार्य
02	05.09.2012 बुधवार	सरकारी कार्य
03	06.09.2012 वृहस्पतिवार	सरकारी कार्य
04	07.09.2012 शुक्रवार	गैर सरकारी सदस्यों का कार्य

**DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative & other matters)

Thursday, 16th August, 2012/ 25 Sravana 1934 (Saka)

No. 165

**COMMENCEMENT OF THE ELEVENTH SESSION (MONSOON SESSION) OF
THE FOURTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL
TERRITORY OF DELHI:**

Hon'ble Members are informed that the Eleventh Session (Monsoon Session) of the Fourth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Tuesday, the 4th September 2012 at 2.00 PM in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

**ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING
ELEVENTH SESSION:**

The sitting of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 4th, 5th, 6th & 7th September 2012.

TIME OF SITTING:

The sitting of the Legislative Assembly shall commence at **2.00 PM** and continue till it is adjourned for the day.

NOTICES OF QUESTIONS:

Notices of questions for the Eleventh Session will be received with immediate effect.

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE ELEVENTH SESSION (RULE 37):

For the Eleventh Session the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been arranged so far as under:

Sl. No.	Group of Departments	Date of Sitting	Last date for receipt of questions for the Department in col. 2 (Up to 3.00 PM)	Date of holding ballot for determination of priority for oral questions (At 5.00 PM)
1	2	3	4	5
1.	Urban Development, Land & Building, Transport, Gurudwara Election and Administration	04.09.2012 (Tuesday)	22.08.2012 Wednesday	22.08.2012 Wednesday
2	PWD, SC/ST & OBC's, Employment, Food & Supply, Women & Child Welfare, Language	05.09.2012 (Wednesday)	23.08.2012 Thursday	23.08.2012 Thursday
3	Commonwealth Games, Administrative Reforms, Entertainment, General Administration, Planning, Trade & Taxes, Finance, Tourism, Art & Culture, Medical & Public Health, Health & Family Welfare, Revenue, Food Adulteration, Irrigation & Flood Control, Power, Cooperative, Industry, Election, Law, Justice & Legislative Affairs	06.09.2012 (Thursday)	24.08.2012 Friday	24.08.2012 Friday
4	Training & Technical Education, Higher Education, Services, Vigilance, Jail, Excise, Water, Home, Environment, Forest & Wild Life, Information & Technology, Information & Publicity, Bhagidari, Public Relation, Social Welfare, Education, Labour	07.09.2012 (Friday)	24.08.2012 Friday	24.08.2012 Friday

Note:

1. The question should primarily relate to one Department only {(Rule 31 (xxii))}.
2. Hon'ble Members may kindly note that if notice of question is received after the last date and time in respect of various departments vide col. No. 3 and 4, such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of notices shall be upto 3.00 P.M. on the last date of receipt of questions for departments as shown in column 4 above.
3. Where the questions draw a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible must be accompanied by the relevant clipping of the news items. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be disallowed.
4. The clubbing of questions will be done in case several notices of question on the same subject matter are received. Notices or questions subsequently received and repeating in substances the same subject-matters are liable to be disallowed {(Rule 31(vii))}.
5. Hon'ble Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.
6. Ballot will be held in the room of the Secretary (Room No.-54) as per schedule indicated Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.
7. Members may kindly note that notices of questions relating to day-to-day administration and functioning of Municipal Corporation of Delhi may not be entertained. The same are liable to be disallowed under Rule 31 (xiii).

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280:

Hon'ble Members who want to raise matters under Rule 280 on 4th, 5th, 6th & 7th September, 2012 may give notice of the same by 11.00 A.M on the date the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on each day. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

Hon'ble Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only. If the text contains any objectionable or derogatory word or sentence, such part of text shall be deleted at the discretion of the Hon'ble Speaker. Hon'ble Members are further requested not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PRIVATE MEMBER'S BUSINESS:

The sittings of the House to be held on Friday, the 7th September, 2012 have been allotted for Private Members Business.

The last date of receipt of notices of Private Member's Bills & Resolutions is ***Friday the 24th August, 2012 up to 3.00 P.M.***

The balloting shall take place at 4.30 P.M on same day in the room of Secretary. Hon'ble Members are welcome to participate in balloting.

PROCEDURE OF NOTICES:

- (a) Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:
- (i) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Officer between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.
 - (ii) A notice received in the Notice Office after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.
- (b) **Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office in Room No.-46**
- (c) All notice delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.
- (d) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.
- (e) The Assembly Notice Office shall remain open during office hours.

VISITOR'S GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 04.07.2012 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e., 03.07.2012(Monday). Similarly, an application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Hon'ble Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE: - CELLULAR PHONE, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC. MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

**P.N.MISHRA
SECRETARY**

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

Eleventh Session

Provisional Calendar of Sittings

Sitting	Date	Day	Business
1.	4 th Sep, 2012	Tuesday	Government Business
2.	5 th Sep, 2012	Wednesday	Government Business
3.	6 th Sep, 2012	Thursday	Government Business
4.	7 th Sep, 2012	Friday	Private Members Day